बिहार सरकार
युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग
बिहार कौशल विकास मिशन
मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना से संबंधित मुख्य बिन्दु

संक्षिप्त परिचय– मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना एक इंटर्नशिप योजना है जिसे मंत्रीमडल स्वीकृत्यादेश संख्या–1596 दिनांक–23.06.2025 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। यह योजना बिहार के 18 से 28 आयु वर्ग के युवाओं को इंटर्नशिप के अवसर उपलब्ध कराने हेतु, युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार के अंतर्गत कार्यरत बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा संचालित किया जा रहा है। इस योजना के तहत सार्वजनिक उपक्रम (PSU), गैर सरकारी संस्थान, देश के बड़े पैमाने के उद्योग, एम0एस0एम0ई0, राज्य के प्रमुख विभागों, सरकारी संस्थानों, निगमों एवं संस्थाओं में इंटर्नशिप का अवसर उपलब्ध कराया जा रहा है।

योजना का उद्देश्यः– बिहार के युवाओं को एक बेहतर भविष्य की दिशा में सशक्त बनाना, इसके लिए उन्हें कौशल प्रशिक्षण एवं कार्यस्थल तत्परता प्रशिक्षण प्रदान करना एवं सरकारी एवं औद्योगिक क्षेत्र में उपलब्ध रोजगार अवसरों की पहचान करने में सहायता एवं मार्गदर्शन प्रदान करना योजना का मुख्य उद्देश्य है।

इंटर्नशिप लक्ष्यः–वर्तमान वित्तीय वर्ष– 2025–26 की समाप्ति को देखते हुए 5000 का लक्ष्य रखा गया है तथा वित्तीय वर्ष– 2026–27 से वित्तीय वर्ष– 2030–31 तक के लिए एक लाख का लक्ष्य निर्धारित है। इस प्रकार कुल–1,05,000 का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

योजना में लाभ लेने वाले युवाओं की पात्रताः–

1. अभ्यर्थी बिहार का निवासी होना चाहिए।
2. 18 से 28 वर्ष के आयु वर्ग के होना चाहिए।
3. कम से कम 12वीं पास होना चाहिए।
4. उद्योग कार्यस्थल अनुभव लेने में इच्छुक होना चाहिए।

इंटर्नशिप अवधिः– तीन से बारह माह तक (3 से 12 माह)

शैक्षणिक पात्रता एवं स्टाइपेंड राशि भुगतानः–

क्रम सं0	शैक्षणिक पात्रता	अतिरिक्त पात्रता	स्टाइपेंड राशि
1	12वीं पास	–	4000
2	10वीं / 12वींपास / आई0टी0आई / डिप्लोमा	सरकारी, गैर सरकारी कौशल प्रशिक्षण प्रमाण पत्र (6 महीना या उससे ज्यादा)	5000
3	स्नातक एवं स्नातकोत्तर	–	6000

इंटर्नशिप स्टाइपेंड राशि के अतिरिक्त भरण–पोषण सहायता भत्ता (गृह जिला से भिन्न, बिहार के भीतर)

क्रम सं0	इंटर्नशिप का स्थान स्थिति	भरण–पोषण सहायता राशि (रू0)
1	गृह जिला से भिन्न, बिहार के भीतर (प्रथम तीन माह तक)	2000 प्रति माह

नोटः–मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना के तहत कार्यरत अभ्यर्थियों की स्टाइपेंड राशि का भुगतान प्रति माह निर्धारित दर मानक के आधार पर बिहार कौशल विकास मिशन द्वारा सीधे उनके बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से किया जाता है।

अभ्यर्थियों / युवाओं की पंजीकरण प्रक्रियाः– अभ्यर्थियों द्वारा दिये गये मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा पोर्टल लिंक– https://cmpratigya.bihar.gov.in/ के माध्यम से इंटर्नशिप हेतु आवेदन / पंजीकरण किया जाता है।

आवेदन / पंजीकरण प्रक्रियाः–

1. युवाओं द्वारा मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा पोर्टल पर पंजीकरण करना एवं अपना प्रोफाइल अपडेट करना।
2. पोर्टल पर उपलब्ध इंटर्नशिप अवसर, इंटर्नशिप कार्यस्थल के अनुसार कम से कम तीन आवेदन।
3. उद्योगों द्वारा आवेदन किये गये अभ्यर्थियों का प्रोफाइल जाँच (Screening) एवं शार्टलिस्ट करना।
4. शार्टलिस्ट किये गये अभ्यर्थियों का जिला निबंधन सह–परामर्श केन्द्र पर दस्तावेज सत्यापन।
5. उद्योग / संस्था द्वारा अभ्यर्थियों का इंटर्नशिप प्रस्ताव पत्र जारी करना।
6. अभ्यर्थियों द्वारा जारी किये गये इंटर्नशिप प्रस्ताव पत्र स्वीकृत करना।

उद्योग / संस्था द्वारा निर्धारित समय अवधि के अन्तराल में कार्य स्थल पर अभ्यर्थियों द्वारा इंटर्नशिप हेतु योगदान करना।

सीएम प्रतिज्ञा योजना से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़ाः–

क्रम सं0	विवरणी	कुल संख्या
1	कुल अनुमोदित उद्योगों / संस्थाओं की संख्या	108
2	कुल उपलब्ध इंटर्नशिप अवसर की संख्या	12,452
3	कुल पंजीकृत युवाओं की संख्या	2,32,665
4	कुल इंटर्नशिप हेतु आवेदन किये गये युवाओं की संख्या	44,491
5	कुल शार्टलिस्ट किये गये युवाओं की संख्या	11,365
6	कुल इंटर्नशिप प्रस्ताव पत्र जारी किये गये युवाओं की संख्या	2,226
7	कुल इंटर्नशिप प्रस्ताव पत्र स्वीकृत किये युवाओं की संख्या	1,349
8	कुल इंटर्नशिप हेतु योगदान / कार्यरत युवाओं की संख्या	762